अनुदान संख्या 86 – वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
GRANT No. 86 - DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4439,25,00	4624,61,00	4617,12,07	-7,48,93
पूरक	Supplementary	185,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,44,92
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6,75,00	6,77,00	1,70,82	-5,06,18
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,20,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1369.00	1126.46	1068.04	-58.42
पु.	R.	-242.54			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	442556.00			
पू.	S.	18536.00	460789.62	460644.03	- 145.59
पु.	R.	-302.38			

(I) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" के अंतर्गत ₹300.96 लाख की बचत (₹1369.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कॉमन हॉल के नवीनीकरण, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/परामर्शदाताओं/अधिवक्ताओं को भाड़े पर लिए जाने के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, वस्तुओं की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कम बैठकें/प्रशिक्षण आयोजित किए जाने और मुद्रण/प्रकाशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Department of Scientific and Industrial Research" - saving of ₹300.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1369.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for renovation of common hall, hiring of data entry operators/consultants/ advocates, less procurement of goods, conduction of less meetings/ training and requirement of less funds towards printing/publication.

(II) मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "3425" - "Others"- savings occurred under the following heads:-

(का) "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता – अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति" – ₹10000.00 लाख की बचत (₹32500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मामला न्यायाधीन होने के कारण यूजीसी–एनईटी परीक्षा, 2017 के जेआरएफ–एनईटी योग्यता–प्राप्त उम्मीदवारों के न आने के कारण हुई।

(A) "Assistance to Council of Scientific and Industrial Research - Research Schemes, Scholarships and Fellowships" - saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32500.00 lakhs) was due to non-joining of JRF-NET qualified candidates of UGC NET exam 2017, matter being subjudice before the Honorable High Court of Punjab and Haryana.

(खा) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" –

(B) "Assistance to Other Scientific Bodies" -

(क) "केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (पीएसई)" – ₹275.00 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएसई को सहायता हेतु स्कीम के लिए स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन में विलंब के कारण हुई।

(a) "Central Electronics Limited (PSE)" - saving of ₹275.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to delay in approval of Standing Finance Committee for the scheme of assistance to PSEs.

(ख) "राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम" – ₹225.00 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति तथा पीएसई को सहायता हेतु स्कीम के लिए स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन में विलंब के कारण हुई।

(ग) "वैयक्तिक, स्टार्ट अप और एमएसएमई में नवाचार का संवर्धन" – ₹290.73 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईआरडी स्कीमों के लिए स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन में विलंब के कारण हुई।

(घ) "पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास" – के अंतर्गत ₹103.03 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹151.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इम्प्रिंट परियोजनाओं (पीएसीई) के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र न मिलने के कारण हुई।

(ङ) "औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण" – ₹232.01 लाख की बचत (₹915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र न मिलने तथा आईटीईजी के अंतर्गत निधि जारी किए जाने के लिए मानदंडों की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(च) "प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुँच (ए2के+)" – ₹108.20 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईआरडी स्कीमों के लिए स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन में विलंब, परियोजना समीक्षा समिति की बैठकें कम आयोजित किए जाने और कम विज्ञापन जारी किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Research Development Corporation" - saving of ₹225.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to slow pace of work and delay in approval of Standing Finance Committee for the scheme of assistance to PSEs.

(c) "Promoting Innovations in Individuals, Startups and MSMEs (PRISM)" - saving of ₹290.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to delay in approval of Standing Finance Committee for IRD Schemes.

(d) "Patent Acquisition and Collaborative Research and Technology Development (PACE)"- saving of ₹103.03 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹151.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to non-receipt of utilisation certificates from the implementing agencies under IMPRINT projects (PACE).

(e) "Building Industrial R&D and Common Research Facilities (BIRD)"- saving of ₹232.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹915.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agency and non-fulfillment of norms for release of funds under ITeG.

(f) "Access to Knowledge for Technology Development and Dissemination (A2K+)"- saving of ₹108.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to delay in approval of Standing Finance Committee for IRD Schemes, conduction of less Project Review Committee meetings and releasing of less advertisements.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹100.00 lakhs occurred constituting 50 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10886.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य – वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता – राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं" के अंतर्गत मार्च, 2018 में ₹18535.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹10886.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹18535.00 lakhs in March, 2018 under Major Head "3425" - "Others - Assistance to Council of Scientific and Industrial Research - National Laboratories".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "7425"	Major head "7425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर्ज	Loans for Other Scientific Research				
मू.	O.	500.00	195.00	29.70	-165.30
पु.	R.	-305.00			

(I) "अन्य कर्ज – पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास" के अंतर्गत ₹470.30 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण कम मांग प्राप्त होने की वजह से हुई।

(I) Under "Other Loans - Patent Acquisition and Collaborative Research and Technology Development (PACE)" - saving of ₹470.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to receipt of less demand owing to slow progress of projects.